रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 928] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2001/पौष 3, 1923
No. 928] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2001/PAUSA 3, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1255(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) नियम, 1989 में,—

(i) नियम 3 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"यदि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या सेवा निवृत्त न्यायाधीश नहीं है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह प्रति मास 26,000 रु. (नियत) वेतन प्राप्त करेगा और ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पाने वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय है :

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों [अर्थात् 26,000 रु. (नियत) वेतनमान वाले अधिकारी] के वेतनमान का पुनरीक्षण किया जाता है तो इस उपनियम में निर्दिष्ट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों को लागू पुनरीक्षित वेतनमान का हकदार होगा।

परन्तु यह और कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के समय सरकार के अधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में की गई अपनी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है तो, ऐसे वेतन में से पेंशन और किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।";

(ii) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सदस्यों के पारिश्रमिक, भत्ते आदि :—सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 22,400-525-24,500 रु. के वेतनमान में वेतन प्राप्त

करेगा और ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय है :

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों (अर्थात् 22,4,00-525-24500 रु. के वेतनमान वाले अधिकारी) के वेतनमान का पुनरीक्षण किया जाता है तो सदस्य के रूप में नियुक्त ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों को लागू पुनरीक्षित वेतनमान का हकदार होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय सरकार के अधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में की गई अपनी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे वेतन में से पेंशन और किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।"

[फा. सं. वी/69/2001-एन सी. II]

पी. सी. भट्ट, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम का.आ. सं. 386(अ) दिनांक 29 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24 December, 2001

S.O. 1255 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) rules, 1989, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1989,—

(i) in rule 3, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely :—

"A person not being a serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman shall receive a pay of Rs. 26,000 (fixed) per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to the Central Government officers of equivalent pay :

Provided that if the pay scale of the officers of the Central Governmer 'equivalent pay [i.e., officers in the pay scale of Rs. 26,000 (fixed)] is revised, the person appointed as Chairman referre ; in this sub-rule shall be entitled to the revised pay scale applicable to the said officers of the Central Government of equivalent pay :

Provided further that if such a person at the time of this appointment as Chairman is in receipt of a pension in respect of his previous service under the Government or any local body or authority owned or controlled by the Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.",

(ii) for rule 4, the following shall be substituted, namely :—

"4. Remuneration, allowances, etc. of Members.—A person appointed as member shall receive pay in the scale of Rs. 22,400-525-24,500 and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to the Central Government officers of equivalent pay :

Provided that if the pay scale of the officers of the Central Government of equivalent pay (i.e., officers in the pay scale of Rs 22,400-525-24,500) is revised, the person appointed as member shall be entitled to the revised pay scale applicable to the said officers of the Central Government of equivalent pay :

Provided further that if such a person at the time of his appointment as member is in receipt of a pension in respect of his previous service under the Government or any local body or authority owned or controlled by the Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits."

[F. No. V/69/2001-NC. II]

P. C. BHATT, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide S.O. No. 386 (E) dated 29th May, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.